उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्तिभवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–1081–औ0सं0/2022–64–ए0एस0/02 | दिनांक 23 मार्च, 2022

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/
विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को
वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवं कानपुर।

ई–मेल
अति आवश्यक/तत्काल कार्यवाही

विषयः–विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 जिसमें 18 संगठन सम्मिलित है, द्वारा इलेक्ट्रिसिटी (अमेण्डमेन्ट) बिल 2021 के विरोध में एवं बिजली कर्मियों की प्रमुख समस्याओं के समाधान हेतु दिनांक 28 व 29 मार्च, 2022 को कार्य बहिष्कार के नोटिस के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि "विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ0प्र0" जिसमें 18 संगठन सम्मिलित है, ने पत्र संख्या–79/संघर्ष दिनांक 16.03.2022 द्वारा इलेक्ट्रिसिटी (अमेण्डमेन्ट) बिल 2021 के विरोध में एवं बिजली कर्मियों की प्रमुख समस्याओं के समाधान हेतु दिनांक 28 व 29 मार्च, 2022 को कार्य बहिष्कार किये जाने का नोटिस दिया है।

अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव (ऊजी) द्वारा जारी शासनादेश संख्या–1523/24–पी–2–21–1(121)/04 दिनांक 04.01.2021 **(प्रतिलिपि संलग्न)** द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ0 प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–30 सन् 1966) की धारा(3) की उपधारा (1) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश कारपोरेशन के पत्र संख्या–64–औ0सं0/17/पाकालि/2022–159–ए/67 दिनांक 11.01.2022 **(प्रतिलिपि संलग्न)** द्वारा सभी प्रबन्ध निदेशकों एवं अन्य अधिकारियों को संसूचित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का कार्य बहिष्कार करना न केवल अनुचित है अपितु अवैधानिक भी है। इस पर आपके स्तर से अविलम्ब कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ताकि किसी भी प्रकार से जनता एवं विभाग का हित प्रभावित न हो सके।

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–929–औ0सं0/17/पाकालि/2001–3 ए0/79 दिनांक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में **"काम नही तो वेतन नही"** के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किये जाने के आदेश भी विद्यमान हैं।

आपसे अनुरोध है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 28 व 29 मार्च, 2022 को प्रस्तावित कार्य–बहिष्कार के नोटिस के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व संयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये । कृपया निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रिय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें। कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–1081–औ0सं0/2022, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 ट्रांस्मिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा ।
5. अपर सचिव–प्रथम/उप सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को कार्य बहिष्कार की नोटिस की प्रति सहित कान्टीजेन्ट प्लान एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थाये पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।
6. अपर सचिव–द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार को आन्दोलन के दृष्टिगत जिला/पुलिस प्रशासन से शक्ति भवन की सुरक्षा व्यवस्था कराने हेतु।
8. समस्त महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (लेखा),/उप मुख्य लेखाधिकारीगण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कारपोरेशन मुख्यालय/लेखा–शाखा के समस्त अधिकारीगण, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड करने हेतु।
11. कट फाइल।

संलग्नक–यथोपरि।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र

41/557, डा0 तुफैल अहमद मार्ग, लोहिया मजदूर भवन, नरही, लखनऊ – 226001

पत्र सं : 79/संघर्ष 16 मार्च, 2022

सेवा में,

अध्यक्ष,
उप्र पाकालि/उप्र पाट्राकालि/उप्र राविउनिलि/उप्र जविनिलि,
लखनऊ।

विषयः– इलेक्ट्रिसिटी (अमेण्डमेंट) बिल 2021 के विरोध में एवं बिजली कर्मियों की प्रमुख समस्याओं के समाधान हेतु दिनांक 28 व 29 मार्च, 2022 को कार्य बहिष्कार की सूचना।

महोदय,

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र प्रारम्भ से ही व्यापक जनहित में ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण का विरोध करती रही है। इसी क्रम में विगत 17 अप्रैल 2020 को केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (अमेण्डमेंट) बिल 2020 एवं विद्युत वितरण का शत–प्रतिशत निजीकरण करने हेतु 20 सितम्बर 2020 को जारी किये गये ड्राफ्ट स्टेण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट का भी संघर्ष समिति ने पुरजोर विरोध किया। साथ ही चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी सहित समस्त केन्द्र शासित प्रदेशों में चल रही निजीकरण की प्रक्रिया से भी बिजली कर्मियों में भारी रोष व्याप्त है।

यह विदित हुआ है कि संसद के मौजूदा बजट सत्र में इलेक्ट्रिसिटी (अमेण्डमेंट) बिल 2021 प्रस्तुत किया जाएगा और पारित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में हमारा यह मत है कि इलेक्ट्रिसिटी (अमेण्डमेंट) बिल 2021 पर बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों की राय लिए बिना इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में संशोधन हेतु की जा रही इस एकतरफा कार्यवाही से बिजलीकर्मियों में भारी रोष व्याप्त है। अतः हमारी मांग है कि बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों के हितों पर कुठाराघात करने वाले इस बिल को संसद में जल्दबाजी में न रखा जाए और व्यापक चर्चा हेतु बिल को संसद की बिजली मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति इस पत्र के माध्यम से आपको यह सूचित करना चाहती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में हो रहे राष्ट्रव्यापी आन्दोलन के क्रम में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा निगमों के तमाम कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर व अभियन्ता केन्द्र व राज्य सरकार के ध्यानाकर्षण हेतु आगामी 28 व 29 मार्च को कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उत्पादन, पारेषण, सिस्टम ऑपरेशन, वितरण में पाली में कार्यरत कर्मी कार्यबहिष्कार से अलग रखे जायेंगे।

अतः हमारी आपके माध्यम से केन्द्र/प्रदेश सरकार से यह मांग है कि :–

1. इलेक्ट्रिसिटी (अमेण्डमेन्ट) बिल–2021 एवं विद्युत वितरण क्षेत्र के निजीकरण हेतु जारी किये गये स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट तत्काल वापस लिया जाये।
2. ग्रेटर नोएडा का विद्युत वितरण का निजीकरण एवं आगरा शहर का फ्रेंचाइजीकरण तत्काल निरस्त किया जाये। चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी सहित सभी केन्द्र शासित प्रदेशों व अन्य स्थानों पर चल रही निजीकरण की सारी प्रक्रिया निरस्त की जाये।
3. केएसईबी लिमिटेड, केरल एवं एचपीएसईबी लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश की तरह उ0प्र0 में भी सभी बिजली निगमों का एकीकरण कर यूपीएसईबी लिमिटेड, (UPSEB Ltd.) का गठन किया जाये।
4. सभी बिजली कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाये।
5. संघर्ष समिति के घटक संघ "राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ, उप्र" द्वारा किये गये संघर्ष के दौरान उनके सदस्यों के वेतन कटौती के उत्पीड़न को समाप्त करते हुए कटी अवधि का वेतन बनाया जाये।
6. 06 अक्टूबर 2020 को संघर्ष समिति व मंत्रिमंडलीय उप समिति के मध्य हुए लिखित समझौते का पालन करते हुए वाराणसी, प्रयागराज व अन्य स्थानों पर आन्दोलन के कारण बिजली कर्मियों पर की गयी एफ आई आर तत्काल वापस ली जायें।
7. नियमित पदों पर नियमित भर्ती की जाये एवं तेलंगना सरकार के आदेश की भांति सभी निविदा/संविदा कर्मियों को नियमित किया जाये। ऊर्जा निगमों में रिक्त पड़े सभी क्लास–03 व क्लास–04 के पदों पर प्राथमिकता से भर्ती की जाये।
8. सभी संवर्गों के कर्मियों की वेतन विसंगतियां दूर की जाये तथा न्यूनतम 03 पदोन्नत पदों का वेतनमान समयबद्ध वेतनमान के तौर पर पूर्व की भांति लागू किया जाये।

आदर सहित।

भवदीय

(शैलेन्द्र दुबे)
संयोजक
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति

(प्रभात सिंह)
महासचिव
उप्र राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ

(जय प्रकाश)
महासचिव
राविप जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उप्र

(गिरीश कुमार पाण्डेय)
महामंत्री
विद्युत मजदूर पंचायत, उप्र

(महेन्द्र राय)
प्रमुख महामंत्री
उप्र बिजली कर्मचारी संघ

(सुहैल आबिद)
महामंत्री
उप्र बिजली मजदूर संगठन

(पी0के0 दीक्षित)
प्रमुख महामंत्री
हाईड्रो इलेक्ट्रिक इम्प.यू.उप्र

(शशिकान्त श्रीवास्तव)
महामंत्री
उप्र विद्युत मजदूर संघ

(बृजेश त्रिपाठी)
अध्यक्ष
रा.वि.प.प्राविधिक कर्मचारी संघ, उप्र

(उत्पल शंकर)
महासचिव
उप्र राविउनि अधिकारी एसोसिएशन

(सुनील प्रकाश पाल)
केन्द्रीय अध्यक्ष
विद्युत कार्यालय सहायक संघ, उप्र

(विशम्भर सिंह)
महामंत्री
यूपी बिजली बोर्ड इम्प. यू. उप्र(सीटू)

(रामं सहारे वर्मा)
प्रान्तीय महामंत्री
विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ, उप्र

(शम्भू रतन दीक्षित)
अध्यक्ष
उप्र ताप विद्युत मजदूर संघ

(पी एस बाजपेयी)
अध्यक्ष
उप्र रा.वि.प. श्रमिक संघ

(जी.पी. सिंह)
महामंत्री
विद्युत पैरामेडिकल एसोसिएशन

(रफीक अहमद)
अध्यक्ष
विद्युत मजदूर यूनियन उप्र (एचएमएस)

(वी के सिंह 'कलहंस')
केन्द्रीय अध्यक्ष
विद्युत परिषद आशुलेखक संघ, उप्र (भामस)

(आर0के0 सिंह)
अध्यक्ष
उप्र राविप लेखा संघ

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग–2
संख्या– 1523/24–पी–2–2021–1(121)/04
लखनऊ, दिनांक 04 जनवरी, 2022

सं०____नि०(का०प्र० एवं प्रशा०)पाकालि/20....

अधिसूचना
आदेश

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

2– अतएव, अब, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1– उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 2– उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ, 3– उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ 4– उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 5– कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, केस्को, 6– मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, 7– पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, 8– पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ और 9– दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाय।

आज्ञा से,

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:– 1523(1)/24–पी–2–2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 04.01.2022 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव ने स्वीकृति दे दी है। अंतिम मुद्रण के उपरान्त मैटर को तोड़ दिया जाये।

निदेशक (का० प्र० एवं प्रशा०)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

आज्ञा से,

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव।

H S Nishu UO-2021

संख्या: [illegible]( )/[illegible]-1-[illegible] 1(1[illegible])/0[illegible], तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

(1) अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
(2) अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
(5) सचिव, [illegible] उ0प्र0।
(6) समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अपने स्तर से [illegible] कराने का कष्ट करें।
(7) सूचना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आदेश को विशेष रूप से प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।
(8) विधायी अनुभाग-1
(9) श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(10) प्रबन्ध निदेशक, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी (केस्को), कानपुर।
(11) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
(12) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
(13) प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
(14) प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
(15) गोपन अनुभाग-2 एवं ऊर्जा अनुभाग-1/3/ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

H S Mehra L O-2-21

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या–64–औ0सं0–17/पाकालि/2022–159–ए/67 दिनाँक 11 जनवरी, 2022

उ0प्र0 शासन ऊर्जा अनुभाग–2 की अधिसूचना आदेश सं0–1523/24–पी–2–2021–1(121)/04 दिनांक 04.01.2022 की प्रति संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0),/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा एवं केस्को कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
7. अपर सचिव–I/II/III, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/समस्त कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
10. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), क0सं0–407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org** पर अपलोड करने हेतु।
16. कट फाइल।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

Nct Mathur 6.1.22
(नवनीत माथुर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

संख्या–64(1) औ0सं0–17/पाकालि/2022/तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के समस्त श्रम/सेवा संघो को उ0प्र0 शासन की उक्त अधिसूचना के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रेषित।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(नवनीत माथुर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

ADHISUCHANA Union